2007 का विधेयक संख्यांक .

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

अध्याय 2

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण

4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण ।

5. भरणपोषण के लिए आवेदन ।

6. अधिकारिता और प्रक्रिया ।

7. भरणपोषण अधिकरण का गठन ।

8. जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया ।

9. भरणपोषण का आदेश ।

10. भत्ते में परिवर्तन ।

11. भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन ।

12. कतिपय मामलों में भरणपोषण के संबंध में विकल्प ।

13. भरणपोषण की रकम का जमा किया जाना ।

14. ब्याज का अधिनिर्णय जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है ।

15. अपील अधिकरण का गठन ।

16. अपीलें ।

17. विधिक अभ्यावेदन का अधिकार ।

18. भरणपोषण अधिकारी ।

अध्याय 3

वृद्धाश्रमों की स्थापना

19. वृद्धाश्रमों की स्थापना ।

खंड

अध्याय 4

वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध

20. वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता ।

अध्याय 5

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा

21. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरुकता, आदि के लिए उपाय ।
22. प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।
23. कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना ।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

24. वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग ।
25. अपराधों का संज्ञान ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

26. अधिकारियों का लोक सेवक होना ।
27. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।
28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
30. निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।
31. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि मेन्टेनेंस एंड वैलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007

संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है ।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होता है ।

(3) यह किसी राज्य में, ऐसी तारीख को, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बालक" में बेटा, बेटी, पौत्र और पौत्री सम्मिलित हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है ;

(ख) "भरणपोषण" में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है ;

(ग) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं किया गया समझा जाता है ; 1875 का 9

(घ) "माता-पिता" से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह, यथास्थिति, जैव, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "संपत्ति" से किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जंगम या स्थावर, पैतृक या स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त हो और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित हैं ;

(छ) "नातेदार" से निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है जो कोई अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा ;

(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है, और जिसने साठ वर्ष या ऊपर की आयु प्राप्त कर ली है तथा जिसमें माता-पिता सम्मिलित हैं चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं ;

(झ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिकरण" से धारा 7 के अधीन गठित भरणपोषण अधिकरण अभिप्रेत है ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

3. इस अधिनियम के उपबंधों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

अध्याय 2

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण ।

4. (1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता-पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,--

(i) माता-पिता या दादा-दादी की दशा में उसके एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, जो कोई अवयस्क नहीं हैं ;

(ii) किसी निःसन्तान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे नातेदार के

विरुद्ध, जो धारा 2 के खंड (छ) में निर्दिष्ट हैं,

धारा 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार होगा ।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक साधारण जीवन व्यतीत कर सके ।

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता, पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है जिससे कि ऐसे माता-पिता एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें ।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और उसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करेगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करेगा :

परन्तु जहां एक नातेदार से अधिक नातेदार किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां भरणपोषण, ऐसे नातेदार द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे ।

भरणपोषण के लिए आवेदन ।

5. (1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन,--

(क) यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा ; या

(ख) यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी संगठन द्वारा किया जा सकेगा ;

(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संगठन" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है ।

1860 का 21

(2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के अन्तरिम भरणपोषण के लिए, जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, एक मासिक भत्ता देने और उसका ऐसे वरिष्ठ नागरिक को संदाय करने का, जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, ऐसा आदेश कर सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निदेशित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भरणपोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जांच कर सकेगा ।

(4) भरणपोषण के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते हेतु उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, यथासंभव ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध फाइल किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे बालक या नातेदार भरणपोषण के लिए आवेदन में माता-पिता का भरणपोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेगा ।

(6) जहां भरणपोषण का आदेश एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था वहां उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरणपोषण का संदाय जारी रखने के लिए अन्य व्यक्तियों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा ।

(7) भरणपोषण और कार्यवाही के खर्चे के लिए कोई ऐसा भत्ता आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरणपोषण या कार्यवाही के खर्चे के आवेदन की तारीख से संदेय होगा ।

(8) यदि ऐसे बालक या नातेदार जिन्हें ऐसा आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं, तो कोई ऐसा अधिकरण आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंधित रीति में देय राशि के उद्ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, भरणपोषण और कार्यवाही के खर्चे के लिए प्रत्येक मास के संपूर्ण भत्ते या उसके किसी भाग के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात् असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से, जो एक मास तक हो सकेगा या संदाय होने तक यदि संदाय शीघ्र किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दंडादिष्ट कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस तारीख से जिसको यह रकम शोध्य हो जाती है, तीन मास की अवधि के भीतर उसके उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन नहीं किया जाएगा ।

अधिकारिता और प्रक्रिया ।

6. (1) धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी,--

(क) जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है ; या

(ख) जहां बालक या नातेदार निवास करता है ।

(2) धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, बालकों या नातेदारों जिनके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करेगा ।

(3) बालकों या नातेदारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथाउपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी । 1974 का 2

(4) ऐसी प्रक्रियाओं के सभी साक्ष्य बालकों या नातेदारों की जिनके विरुद्ध भरणपोषण का संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किए जाएंगे :

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बालक या नातेदार जिनके विरुद्ध अनुरक्षण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहे हैं, तो अधिकरण मामले को एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

(5) जहां बालक या नातेदार भारत के बाहर रह रहे हैं, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास

के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्द्रपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकरण उस भाव का एक आदेश पारित करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''सुलह अधिकारी'' से ऐसा व्यक्ति या धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरणपोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ।

भरणपोषण अधिकरण का गठन ।

7. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण गठित कर सकेगी जो धारा 5 के अधीन भरणपोषण के आदेश के न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) अधिकरण की, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ।

(3) जहां, किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं, वहां राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी ।

जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया ।

8. (1) अधिकरण, धारा 5 के अधीन कोई जांच करने में, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों का पता कराने और उनको प्रस्तुत कराने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1974 का 2

(3) अधिकरण, इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, भरणपोषण के लिए किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा, जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो ।

भरणपोषण का आदेश ।

9. (1) यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों और नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निदेश दे ।

(2) वह अधिकतम भरणपोषण भत्ता जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, वह होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो दस हजार रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा ।

भत्ते में परिवर्तन ।

10. (1) भरणपोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यपदेशन या गलती के या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उसी धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन के सबूत पर अधिकरण भरणपोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर

सकेगा जिसे वह ठीक समझे ।

(2) जहां, अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार, यथास्थिति, उस आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा ।

भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन ।

11. (1) यथास्थिति, वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को, जिसके पक्ष में आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरणपोषण के आदेश तथा कार्यवाहियों के खर्चे के संबंध में आदेश की प्रति किसी फीस का संदाय किए बिना दी जाएगी और ऐसे आदेश को किसी ऐसे स्थान पर किसी अधिकरण द्वारा, पक्षकारों की पहचान और, यथास्थिति, भत्ते के असंदाय अथवा शोध्य खर्चों के बारे में समाधान हो जाने पर प्रवृत्त किया जा सकेगा जहां वह व्यक्ति निवास करता है जिसके विरुद्ध आदेश किया जाता है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए भरणपोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा । 1974 का 2

कतिपय मामलों में भरणपोषण के संबंध में विकल्प ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता उक्त अध्याय के अधीन भरणपोषण के लिए हकदार हैं और इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण के लिए भी हकदार हैं, वहां, वे उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन ऐसे भरणपोषण का दावा कर सकेंगे किन्तु दोनों के अधीन नहीं । 1974 का 2

भरणपोषण की रकम का जमा किया जाना ।

13. जब इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा जैसा अधिकरण निदेश दे ।

ब्याज का अधिनिर्णय जहां कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है ।

14. जहां कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरणपोषण का कोई आदेश करता है, वहां ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि भरणपोषण की रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से जो आवेदन करने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो और जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, साधारण ब्याज का भी संदाय किया जाएगा जो पांच प्रतिशत से कम और अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु जहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है वहां न्यायालय माता-पिता के अनुरोध पर ऐसे आदेश को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे माता-पिता अधिकरण के समक्ष भरणपोषण के लिए आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे । 1974 का 2

अपील अधिकरण का गठन ।

15. (1) राज्य सरकार, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी ।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो ।

अपीलें ।

16. (1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील

कर सकेगा :

परंतु अपील पर वे बालक या रिश्तेदार जिनसे ऐसे भरणपोषण के आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निदेशित रीति से करता रहेगा :

परंतु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) अपील अधिकरण, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगा ।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा ।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा ।

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा :

परंतु कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा ।

(7) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति निःशुल्क दोनों पक्षकारों को भेजी जाएगी ।

विधिक अभ्यावेदन का अधिकार ।

17. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

भरणपोषण अधिकारी ।

18. (1) राज्य सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, भरणपोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट भरणपोषण अधिकारी, यदि कोई माता-पिता ऐसी वांछा करे, उसका, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व करेगा ।

अध्याय 3

वृद्धाश्रमों की स्थापना

वृद्धाश्रमों की स्थापना ।

19. (1) राज्य सरकार पहुंच के भीतर स्थानों पर उतनी संख्या में वृद्धाश्रम चरणबद्ध रीति में स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी जितने वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी जिसमें कम-से-कम ऐसे एक सौ पचास वरिष्ठ नागरिकों को आवास दिया जा सके जो निर्धन हैं ।

(2) राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी जिसके अंतर्गत

उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार भी हैं जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धन" से कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है जिसके पास स्वयं का भरणपोषण करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं हैं जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किए जाएं ।

अध्याय 4

वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता ।

20. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,--

(i) सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित अस्पताल, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, यथासंभव, बिस्तर प्रदान करेंगे ;

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् पंक्तियों की व्यवस्था की जाए ;

(iii) असाध्य, जानलेवा और अपह्रासन रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जाएं ;

(iv) असाध्य वृद्धावस्था के रोगों और वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए ;

(v) जराचिकित्सीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जराचिकित्सा के रोगियों के लिए सुविधाएं निःशुल्क दी जाएं ।

अध्याय 5

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरुकता, आदि के लिए उपाय ।

21. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि--

(i) इस अध्याय के उपबंधों का टेलीविजन, रेडियो और अखबारों सहित सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है ;

(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरुक होने का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है ।

प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

22. (1) राज्य सरकार, किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से पालन किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग और सभी या किसी कर्तव्य का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, उस अधिकारी द्वारा पालन किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी ।

23. (1) जहां कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी भौतिक जरूरतें प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा भौतिक जरूरतें प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा । कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना ।

(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका भाग अंतरित कर दिया गया है तो यदि अंतरिती के पास अधिकार की सूचना है या यदि अंतरण बिना प्रतिफल के है तो भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरिती के संबंध में लागू किया जा सकेगा; न कि उस अंतरिती के संबंध में, जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिकार को लागू कराने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

24. जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा । वरिष्ठ नागरिकों को अरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग ।

1974 का 2 **25.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा । अपराधों का संज्ञान ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

26. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । अधिकारियों का लोक सेवक होना । (1860 का 45)

27. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा । सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

28. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

29. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

30. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी ।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

31. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे--

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, जांच कराने की रीति ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया ;

(ग) अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा आदेशित किया जाए ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वृद्धाश्रम के प्रबंध के लिए स्कीम, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हों ;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(च) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना ;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष, रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय समाज के परंपरागत मानक और मूल्य वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखरेख की व्यवस्था करने पर जोर देते हैं । तथापि, संयुक्त कुटुंब प्रणाली के क्षीण होने के कारण अनेक वयोवृद्ध व्यक्तियों की उनके कुटुंब द्वारा देखभाल नहीं की जा रही है । परिणामस्वरूप, अनेक वृद्ध व्यक्ति, विशेषकर विधवा महिलाएं अपने जीवन के संध्याकाल के वर्षों को अकेले व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं और वे भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक तथा वित्तीय सहायता की कमी झेल रही हैं । इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बढ़ती हुई आयु एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख और सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । यद्यपि, माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन भरणपोषण का दावा कर सकते हैं, फिर भी यह प्रक्रिया अत्यधिक समय लगने वाली और साथ ही खर्चीली भी हैं । अतः, माता-पिता के लिए भरणपोषण का दावा करने के लिए सरल, कम खर्चीले और शीघ्र प्रक्रिया के उपबंधों की आवश्यकता है ।

2. विधेयक में, ऐसे व्यक्तियों पर, जो अपने वृद्ध नातेदारों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करते हैं, ऐसे वृद्ध नातेदारों के भरणपोषण की बाध्यता अधिरोपित करने का प्रस्ताव है और निर्धन वृद्ध व्यक्तियों का भरणपोषण करने के लिए वृद्धाश्रमों को स्थापित करने के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक में आगे वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है ।

3. अतः विधेयक में निम्नलिखित के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है :--

(क) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता पर आधारित भरणपोषण उपलब्ध कराने के लिए समुचित तंत्र स्थापित करना ;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(ग) वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक समुचित तंत्र को संस्थागत बनाना ; और

(घ) प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करना ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 मार्च, 2007

मीरा कुमार

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार लागू होने और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है । प्रस्तावित विधान जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत के सभी नागरिकों को लागू होगा और यह भारत के उन नागरिकों को भी लागू होगा जो भारत के बाहर हैं ।

खंड 2--विधेयक में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

खंड 3--यह उपबंध करता है कि विधेयक का, किन्हीं अन्य अधिनियमों के उपबंधों पर, जो वर्तमान विधेयक के उपबंधों से असंगत हैं, अध्यारोही प्रभाव होगा ।

खंड 4--किसी वरिष्ठ नागरिक के, जिसके अंतर्गत वे माता-पिता भी हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, अपने एक या अधिक बालकों के विरुद्ध जो अवयस्क नहीं हैं, और किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिक की दशा में उसके ऐसे नातेदार के विरुद्ध जो उसकी संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे, भरणपोषण की हकदारी का उपबंध करता है ।

खंड 5--अन्य बातों के साथ किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा भरणपोषण का आवेदन करने के लिए और यदि वह असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरणपोषण का आवेदन करने का उपबंध करता है । अधिकरण, स्वप्रेरणा से इसका संज्ञान भी ले सकेगा । यह, कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मासिक भत्ता देने के लिए अधिकरण को सशक्त करता है । इसमें यह उपबंध है कि मासिक भत्ते के किसी आवेदन का, आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर यथासंभवशीघ्र निपटान किया जाएगा । इसमें यह भी उपबंध है कि एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए भरणपोषण का आवेदन और बालक या नातेदार को भरणपोषण के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार भी बना सकेगा और उनमें से किसी एक की मृत्यु से अन्य के दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

खंड 6--अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि भरणपोषण के लिए कोई आवेदन किसी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता द्वारा किसी बालक या नातेदार के विरुद्ध किसी जिले में, जहां वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता निवास करते हैं या जहां बालक या नातेदार निवास करते हैं, किया जा सकेगा । अधिकरण को, किसी आवेदन की प्राप्ति पर एक आदेशिका जारी करनी होगी और अधिकरण को बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी । इसमें यह भी उपबंध है कि अधिकरण, आवेदन की सुनवाई से पूर्व उसे सौहार्द्रपूर्ण समझौते के लिए सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

खंड 7--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी और अधिकरण की, किसी राज्य के उपखंड अधिकारी की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक अधिकरणों का गठन किया जाता है, वहां राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी ।

खंड 8--यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने में, अधिकरण, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे और शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों का पता कराने और उनको प्रस्तुत कराने के प्रयोजन के लिए अधिकरण को किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां

होंगी ।

खंड 9--यह उपबंध करता है कि यदि बालक या नातेदार, किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने में उपेक्षा या इंकार करते हैं, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इंकार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकेगा और अधिकरण, भरणपोषण का आदेश जो राज्य सरकार द्वारा दस हजार से अनधिक की सीमा तक विनिर्दिष्ट किया जाए, कर सकेगा ।

खंड 10--यह उपबंध करता है कि तथ्य के दुर्व्यपदेशन या गलती के या किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन, किसी मासिक भत्ते के प्राप्त करने के सबूत पर, अधिकरण, ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अधिकरण, किसी सिविल न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप भरणपोषण के आदेश को रद्द या उसमें परिवर्तन भी कर सकेगा ।

खंड 11--यह उपबंध करता है कि भरणपोषण और कार्यवाहियों के व्यय के आदेश की एक प्रति, वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता को निःशुल्क दी जाएगी और इस विधेयक के अधीन किए गए भरणपोषण आदेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश का है ।

खंड 12--यह उपबंध करता है कि जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता तथा पत्नी, बालकों और माता-पिता के भरणपोषण से संबधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन भी भरणपोषण का हकदार है वहां माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों को, या तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन या इस विधेयक के उपबंधों के अधीन अपने दावे करने का विकल्प होगा ।

खंड 13--यह उपबंध करता है कि ऐसे बालक या नातेदार, जिनसे अधिकरण द्वारा आदेशित भरणपोषण की किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण के पास तीस दिन के भीतर पूरी रकम ऐसी रीति में जो अधिकरण निदेशित करे, जमा करेंगे ।

खंड 14--यह उपबंध करता है कि अधिकरण, भरणपोषण की रकम के अतिरिक्त पांच प्रतिशत से अन्यून और अठारह प्रतिशत से अनधिक के ब्याज का संदाय करने का निदेश दे सकेगा । इसमें यह भी उपबंध है कि जहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के खंड 9 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है वहां ऐसा न्यायालय माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के अनुरोध पर, ऐसे आवेदन को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा ।

खंड 15--राज्य सरकार द्वारा अपील अधिकरण का गठन करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, उपबंध करता है ।

खंड 16--यह उपबंध करता है कि अधिकरण के विनिश्चय द्वारा व्यथित किसी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के पास अधिकरण के आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील अधिकरण को अपील करने का अधिकार है । इस खंड में अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया का उपबंध भी है । अधिकरण, अपील फाइल करने के एक मास के भीतर अपील का विनिश्चय करने का प्रयास करेगा ।

खंड 17--यह उपबंध करता है कि अधिकरणों और अपील अधिकरणों के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में विधिक व्यवसायी भाग नहीं लेंगे ।

खंड 18--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार जिला समाज कल्याण अधिकारी या किसी जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी को

भरणपोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी जो किसी माता-पिता का, यदि वह ऐसी वांछा करे, किसी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करेगा ।

खंड 19--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो निर्धन हैं, किसी चरणबद्ध रीति में वृद्धाश्रम स्थापित कर सकेगी । आगे इसमें यह भी उपबंध है कि राज्य सरकार, वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिए, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मानक और विभिन्न प्रकार भी हैं, जो चिकित्सीय देखभाल और मनोरंजन के लिए आवश्यक हैं, एक स्कीम विहित कर सकेगी ।

खंड 20--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा पूर्णतया या भागतः वित्त पोषित अस्पतालों में यथासंभव बिस्तर उपलब्ध कराए जाएं । इसमें यह भी उपबंध है कि प्रत्येक जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् पंक्तियों की व्यवस्था, असाध्य, जानलेवा और अपह्रासन के उपचार की सुविधा ; असाध्य रोगों के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों और जरा-चिकित्सा के रोगियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाए ।

खंड 21--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, नियमित अंतरालों पर विधेयक के उपबंधों का व्यापक प्रचार करने के लिए उपाय करेगी । इसमें यह भी उपबंध है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस विधेयक से संबंधित मुद्दों पर नियतकालिक सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और विधि, गृह कार्य, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय किया जाएगा ।

खंड 22--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इस विधेयक के उपबंधों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है, जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां प्रदत्त और ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी तथा जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ अधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जो उनको प्रदत्त सभी शक्तियों और सभी या किसी कर्त्तव्य का पालन करेंगे और स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का पालन करेगा । इसमें यह भी उपबंध है कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाएगी ।

खंड 23--यह उपबंध करता है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, इस विधेयक के उपबंधों के प्रारंभ के पश्चात् अपनी संपत्ति का दान या अन्यथा के द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए अंतरण करता है कि अंतरिती बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी भौतिक जरूरतों को उपलब्ध कराएगा और यदि ऐसा अंतरिती ऐसी सुविधाओं और भौतिक जरूरतों को उपलब्ध कराने में असफल रहता है या उनसे इंकार करता है तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरण को वरिष्ठ नागरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा । इसमें यह भी उपबंध है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक के पास किसी संपदा या उसके भाग में से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसके भाग को अंतरित कर दिया जाता है तो अधिकार को अंतरिती के विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा । इसमें आगे उपबंध है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, अधिकारों को प्रवृत्त करने में असमर्थ है तो उसकी ओर से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगम द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी ।

खंड 24--यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जिसकी देखरेख या सुरक्षा में कोई

वरिष्ठ नागरिक है, किसी वरिष्ठ नागरिक का साशय परित्याग करता है, तीन मास तक के कारावास या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

खंड 25--यह उपबंध करता है कि इस विधेयक के अधीन अपराध संज्ञेय और जमानतीय हैं और इनका किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाएगा ।

खंड 26--यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधेयक के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

खंड 27--यह उपबंध करता है कि सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित है ।

खंड 28--यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

खंड 29--यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को, जो इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन में उद्भूत होती है, दूर कर सकेगी । उक्त शक्ति का वर्तमान विधान के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ।

खंड 30--प्रस्तावित विधान के उपबंधों के निष्पादन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश देने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 31--प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकारों को सशक्त करता है । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को उस सरकार द्वारा संबंधित विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 7(1) में, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरणपोषण के आदेश का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक उपखंड के लिए राज्य सरकार द्वारा, एक या अधिक अधिकरणों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थापित करने का उपबंध है । खंड 7(2) में यह उपबंध है कि अधिकरण की अध्यक्षता, किसी राज्य के उपखंड अधिकारी की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी । इसके अतिरिक्त खंड 15(1) में यह उपबंध है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण गठन कर सकेगी । खंड 15(2) में यह उपबंध है कि अपील अधिकरण की अध्यक्षता, जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी । चूंकि इस विधेयक में राज्य सरकार की विद्यमान मशीनरी का उपयोग करने का प्रस्ताव है, इसलिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

2. विधेयक के खंड 19(1) में यह उपबंध हैं कि राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में पहुंच योग्य स्थानों पर कम से कम एक वृद्धाश्रम को ऐसी चरणबद्ध रीति से स्थापित और अनुरक्षित रखेगा जिसमें कम से कम एक सौ पचास वरिष्ठ नागरिकों को रखने के लिए, जो निर्धन हैं, व्यवस्था हो सके । खंड 19(2) में यह उपबंध है कि राज्य सरकार वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिए एक स्कीम विहित कर सकेगी । चूंकि परियोजनाओं को एक चरणबद्ध रीति में कार्यान्वित किया जाएगा इसलिए भारत की संचित निधि पर अभी कोई वित्तीय विवक्षाएं नहीं होंगी ।

3. विधेयक के खंड 20 में राज्य सरकारों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध है । खंड 21 में राज्य सरकारों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए उपबंध है । चूंकि विद्यमान अवसंरचना का इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29, राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित करके ऐसे आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है, जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों ।

विधेयक का खंड 30, केन्द्रीय सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के लिए, राज्य सरकार को निदेश देने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 31 राज्य सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । उस खंड का उपखंड (2) उस विषय को प्रगणित करता है जिसके संबंध में इस खंड के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे ।

ये विषय, अन्य बातों के साथ, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच की रीति विहित करने ; धारा 8 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए अधिकरण की शक्तियों और प्रक्रिया ; धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन उस अधिकतम भरणपोषण भत्ते, जिसका आदेश दिया जा सकेगा ; धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वृद्धाश्रमों के प्रबंधन की उस स्कीम जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंडों के विभिन्न प्रकार भी हैं; धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्य ; धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना से संबंधित है ।

खंड 31 का उपखंड (3) नियमों को, विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करता है ।

वे विषय, जिनके बारे में नियम और आदेश बनाए जा सकेंगे, प्रशासनिक ब्यौरे और प्रक्रिया संबंधी विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।